

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 8(विविध)अकादमी अवकाश/अकाद/निकाशि/03/II/ 4582 दिनांक: 10 अप्रैल, 2013

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: सेमीनार, सम्मेलन, कार्यशाला आदि में भाग लेने हेतु अकादमी अवकाश स्वीकृत करने बाबत।


संदर्भ: निदेशालय के परिपत्र क्रमांक: एफ 8(विविध)अकादमी अवकाश/अकाद/निकाशि/03/II/2655 दिनांक: 10.12.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-


1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.1(12)वित्त/प्रकोष्ठ-2/83 दिनांक 01.04.83 एवं प. 1(12)वित्त/प्रकोष्ठ-2/83 दिनांक 24.06.96 के अनुसार दिनांक 31 जनवरी के पश्चात् प्रायोगिक परीक्षा, पी0एच0डी0 अवार्ड साक्षात्कार लेने बाबत को छोड़कर सभी प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों, सेमीनार, सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशाला आदि में भाग लेने पर प्रतिबन्ध है।
2. व्याख्याताओं को अकादमी अवकाश (राज्य के भीतर जाने की) की स्वीकृति प्राचार्य महाविद्यालय स्तर पर ही जारी की जावेगी। शैक्षणिक सत्र के अन्त में प्राचार्य द्वारा संलग्न निर्धारित प्रपत्र में व्याख्याताओं द्वारा लिये गये अकादमी अवकाश की सूचना तैयार कर निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. ऐसे प्रकरण जिनमें राज्य से बाहर जाने हेतु अकादमिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता हो, की स्वीकृति निदेशक, कॉलेज शिक्षा के स्तर से जारी की जावेगी।
4. राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय)/राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा के प्राचार्य/उपाचार्य के अकादमी अवकाश (राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर) निदेशालय से उनकी व्यक्तिगत पत्रावली पर स्वीकृत किया जावेगा।
5. प्राचार्य/उपाचार्य/व्याख्याता अकादमिक अवकाश का उपभोग सक्षम पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही करेगा। सेमीनार/सम्मेलन/कार्यशाला में भाग लेने हेतु आयोजन दिनांक से पूर्व ही स्वीकृति जारी की जावे।
6. व्याख्याता उपरोक्त उद्देश्यों के लिए निदेशक/प्राचार्य से पूर्व लिखित अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा कार्योत्तर स्वीकृति केवल निदेशक महोदय के स्तर से ही जारी की जावेगी।

संलग्न: निर्धारित प्रपत्र की प्रति

भवदीय,

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांक: एफ 8(विविध)अकादमी अवकाश/अकाद/निकाशि/03/II/ 4582 दिनांक: 10 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि: डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया उक्त परिपत्र को निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

महाविद्यालय का नाम -

अकादमिक अवकाश स्वी कृति का सत्र-

1 जुलाई से 31 जनवरी की अवधि में व्याख्याताओं द्वारा उपयोग किये गये अकादमिक अवकाश की स्थिति हेतु प्रपत्र

क्रम संख्या	आवेदक का नाम व पद	विषय	अकादमिक अवकाश कि प्रकृति - सेमिनार / कार्यशाला / प्रायोगिक परीक्षा / अन्य	आयोजन का स्थान व अवधि	प्रस्तुत किये जाने वाले शोध पत्र का शीर्षक	अकादमिक अवकाशों के कुल दिवस

हस्ताक्षर प्राचार्य
(मय सील)